सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 3- जल उपभोक्ता समितियों का गठन

विषय 3.1 जल उपभोक्ता समितियों के गठन का उद्देश्य

विषय-3.1

जल उपभोक्ता समितियों के गठन का उद्देश्य

मॉड्यूल-3 के विषय

3.1 जल उपभोक्ता समितियों के गठन का उद्देश्य

3.2 सामाजिक गतिशीलता (कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन) का महत्व

3.3 जल उपभोक्ता समितियों का गठन

3.4 जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण

3.1 परिचय

सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी की आधिकारिक स्वीकृति पहली बार **1987** में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में पेश की गई थी।

याद रखें और पढ़ें: भारत में पहली राष्ट्रीय जल नीति वर्ष 1987 में अपनाई गई थी

3.2 राष्ट्रीय जल नीति के निर्देश

1987 की राष्ट्रीय जल नीति में दिए गए प्रावधान निम्नानुसार थे:

“सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से जल वितरण और जल दरों के संग्रहण में किसानों को उत्तरोत्तर शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। किसानों को कुशल जल-उपयोगकर्ता बनाने के लिए और जल प्रबंधन में शिक्षित करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता की जानी चाहिए। "

3.3 सिंचाई प्रणाली में किसान की भागीदारी

वास्तव में, कमांड क्षेत्र का निवासी होना और अपनी जमीन के टुकड़े में कृषि का अभ्यास करनेवाले किसान सिंचाई प्रणाली के स्थायी हितधारक हैं। इसलिए मुख्य रूप से वे सिंचाई व्यवसाय से जुड़े हैं। इसके अलावा, सिंचाई प्रणाली का निर्माण उनकी अधिग्रहीत की गई भूमि पर किया जाता है, भले ही उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान किया जाए, वे इस प्रणाली में शामिल हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत से समझौता किया है।

"सिंचाई प्रणाली में किसानों की भागीदारी" को सुनिश्चित करने पर कई लोगों के कई प्रकार के विचार थे। नब्बे के दशक के मध्य में सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन और रखरखाव में किसानों की निरंतर भागीदारी के दृष्टिकोण से उन्हे सहभागी करने के तत्वों की ओर गंभीरतासे देखा गया था। भागीदारी का एक महत्वपूर्ण तरीका इस कथन में गढ़ा गया था

कि "भागीदारी संगठन से ही शाश्वत रूप से मिलती है"। इस अवधारणा ने सिंचाई जल प्रबंधन में किसानें के संगठनों (एफओआईडब्ल्यूएम) की नींव रखी या ये कहें कि किसानों द्वारा प्रबंधित सिंचाई प्रणाली (एफएमआईएस) के लिए किसान संगठनों की नींव रखी, जिसे बाद में सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) के नाम से जाना जाने लगा और इसके अंतर्गत जल उपयोगकर्ता संघ डब्ल्यू यू एएस (**WUAs**) की संकल्पना दृढ हुई।

3.4 सिंचाई जल प्रबंधन के लिए जल उपयोगकर्ता संघ WUAs

3.4.1 जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना क्यों और कैसे हुई?

इस मुद्दे को जल उपयोगकर्ता संघ प्रबंधन के दृष्टिकोण से संबोधित करना महत्वपूर्ण है। जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना के लिए निम्न विकल्पों में से एक का उपयोग किया जा सकता है।

- जल उपयोगकर्ताओं द्वारा स्थापित जल उपयोगकर्ता संघ।
- जल संसाधन विभाग या अन्य संगठनों द्वारा स्थापित जल उपयोगकर्ता संघ।
- जल संसाधन विभाग और जल उपयोगकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित जल उपयोगकर्ता संघ।

याद रखें: पानी के उपयोगकर्ताओं द्वारा स्थापित जल उपयोगकर्ता संघ ज्यादा स्थाई रहते हैं।

3.4.2 जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना के कारण

- पानी की कमी या कम पानी मिलना।

- समय पर पानी नहीं मिलना।
- पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होना।
- पानी की चोरी।
- शक्तिशाली लोगों व्दारा पानी के समान वितरण को खतरा
- पानी का कोटा खोने का डर, जिसके लिए किसान हकदार हैं।
- जलसंपदा विभाग के अधिकारियों द्वारा फैलाया गया डर ।
- जल उपयोगकर्ता संघ को पानी उपलब्ध कराने की सरकारी नीति।
- समान जल वितरण के लिए यही एकमात्र सही विकल्प है, की समझ।
- पानी के उपयोगकर्ताओं ने जलसंपदा विभाग द्वारा समझाए गए जल उपयोगकर्ता संघ के महत्व को समझा।
- जल उपयोगकर्ताओं को पानी के मूल्य का एहसास हुआ।
- अन्य क्षेत्र में जल उपयोगकर्ता संघ की सफलता से प्रेरणा मिली।

याद रखें: जल उपयोगकर्ता संघ बनाने के और भी कारण हो सकते हैं। आपको उचित कारणों का पता लगाना होगा जो पानी के उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक पध्दति से काम करने के लिए और अपना जल उपयोगकर्ता संघ बनाने के लिए अपनाया हैं ।

उपरोक्त कारणों में से एक या अधिक के लिए जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना की जा सकती है। उद्देश्य यह जानना है कि जल उपयोगकर्ता संघ की स्थिरता उन बुनियादी

कारणों में छिपी है जिनके लिए वे स्थापित किए गए हैं। जल उपयोगकर्ता संघ के प्रबंधन के संदर्भ में, संगठन के सभी सदस्यों को ऐसे कारणों के बारे में पता होना चाहिए।

किसी भी संगठन या समूह के गठन के पीछे मूल कारण यह होता है कि उस समूह या संगठन के सदस्यों की समस्याएं समान हैं। जल उपयोगकर्ता संघ में आम चिंता या सामान्य समस्या यह है कि समय पर पर्याप्त मात्रा में और विश्वसनीयता से पानी उपलब्ध नही होता है। इसलिए सभी जल उपयोगकर्ता संघ में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता संगठन को एकत्रित रखने के लिए महत्वपूर्ण घटक या बाध्यकारी बल बन जाता है। इसलिए, यदि जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि की समस्याएं स्थिर रहती हैं, तो सदस्यों में आपसी सद्भाव और एकीकरण की भावना मजबूत होती है। इसका प्रतिबिंब जल उपयोगकर्ता संघ की निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्ट दिखाई पडता है।

याद रखें: जल उपयोगकर्ता संघ में आम चिंता या आम समस्या है सिंचाई के लिए समय पर पर्याप्त और विश्वसनीयता से पानी उपलब्धता नही होना है।

इसलिए, निम्न परिस्थितियों के तहत जल उपयोगकर्ता संघ के संभावित भविष्य का विश्लेषण किया जा सकता है:

यदि किसी संगठन या समूह का अंकुरण या गठन लोगों की सहमति या सामूहिक निर्णय से होता है, तो उस संगठन या समूह के लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। इसके विपरीत, यदि कोई संगठन अन्य संगठनों या व्यक्तियों के इशारे पर बनता है, तो वह संगठन या समूह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है।

संगठन के प्रबंधन के संदर्भ में, यदि जल उपयोगकर्ता संघ लोगों की सहमति से यानी पानी के उपयोगकर्ताओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो यह कि जल उपयोगकर्ता संघ अपने

सदस्यों की सामान्य विचारधारा से अपनी आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे जल उपयोगकर्ता संघ संकट के समय में भी जीवित रहने में सक्षम रहते हैं। इसे समूह या संगठन की गतिशीलता कहा जाता है। प्रत्येक संगठन को अपनी स्थापना की महिमा बनाए रखने के लिए मानक बनाने पडते है। संगठन की स्थिरता पूरी तरह से सदस्यों की एकता और क्षेत्र की अखंडता पर निर्भर करती है। इसलिए, प्रत्येक **जल उपयोगकर्ता संघ** को उनके स्थापना में शामिल कारणों और स्थितियों के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष याद रखें: लोगों के निर्णय द्वारा स्थापित जल उपयोगकर्ता संघ पैदायशी स्थायी प्रकृति के रहते हैं।

3.5 जल उपयोगकर्ता संघ की स्थापना के उद्देश्य

जल उपयोगकर्ता संघ के उद्देश्य अधिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

किसी भी जल उपयोगकर्ता संघ का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन में जल उपयोगकर्ताओं की भागीदारी लाना और जल उपयोगकर्ताओं के बीच सिंचाई प्रणाली के लिए स्वामित्व की भावना पैदा करना है। विशेष रूप से, जल उपयोगकर्ता संघ के उद्देश्य हैं:

i) अपने सदस्यों के बीच पानी के समान व न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देना और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ii) सिंचाई प्रणाली को पर्याप्त रूप से बनाए रखना; कृषि उत्पादन का स्तर अनुकूलतम करने के लिए पानी का कुशल, किफायती और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना;

iii) पर्यावरण की रक्षा करना;

iv) पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना;

v) सदस्यों में सिंचाई प्रणाली के प्रति स्वामित्व की भावना को बढावा देना और ऐसी भावना रखने वाले सदस्यों को जल उपयोगकर्ता संघ के कार्यों मे सक्रिय रूप से शामिल करना;

vi) जल उपयोगकर्ता संघ के संचालन क्षेत्र में अपने सदस्य के सिंचाई और कृषि से संबंधित सामान्य हितों की रक्षा करना;

vii) जल उपयोगकर्ता संघ कमांड क्षेत्र में सदस्यों के सिंचाई और कृषि से संबंधित सामयिक हितों की किसी भी गतिविधि में संलग्न हो सकता है, जैसे कि पानी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली की शुरुआत करना; भूजल के दोहन के लिए फार्म तालाब और सामुदायिक परियोजनाएं विकसित करना; बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की खरीद और वितरण करना, कृषि उपकरणों की खरीद और उन्हें सदस्यों को किराए पर देना; कमांड क्षेत्र मे उत्पादित कृषि उत्पाद का विपणन और प्रसंस्करण करना और डेयरी और मत्स्य पालन जैसे पूरक व्यवसाय को बढावा देना।

याद रखें: विभिन्न राज्यों के पीआईएम एक्ट में उपर दिए गए उद्देश्यों से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। अपने स्वयं के राज्य के पीआईएम अधिनियम का अच्छी तरह से अध्ययन करें और पता करें कि जल उपयोगकर्ता संघ के गठन के उद्देश्य क्या हैं।